

पत्रावली सं० ५/३०३१ सरकार बनाम नामचर

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
०४/०२/२०२१	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>नामचर</u>          पुत्र श्री <u>गोविंद राम</u> जाति <u>नामचर</u>          निवासी <u>1 Bwm 'A'</u> में फसल <u>रबी/खसीफ</u>          सम्वत्/सन् <u>२०२०</u> में गांव/चक नं० <u>1 Bwm 'A'</u>          के मु० नं० <u>११ ३४४</u> में <u>१.२६५</u> बीघा          सिंचित व <u>—</u> असिंचित कुल <u>१.२६५</u> बीघा          बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील को उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जमा करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>५० गुणा</u>  <u>गुणा पेनल्टी राशि</u> रू० <u>५०६</u> अखरे रू० <u>पंच कोट रुपये मात्र</u>          अधिरोपित की जाती है।</p> <p>भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

२०२०-२०२१ के मा. रजिस्टर  
 संख्या २२५ की क्र.स.  
 ५ पर ता. ५०६

W/A  
 उप तहसीलदार  
 तहसीलदार (पंचजस्य)  
 जिला सी.एम.ए.  
 सी.एम.ए.

Deo  
 तहसीलदार